विश्व मानवाधिकार परिषद

WORLD HUMAN RIGHTS COUNCIL

Reg. Office : Moh. Joshi Tola, Kheri Town, Lakhimpur-Kheri, (U.P.) India - 262702

Phone : 7800000910, 9794100006, 9454110126

Toll Free Help Line No. : 18005725786

E-mail : vmpgov.np@gmail.com Website : www.vmpgov.com

विश्व मानवाधिकार परिषद का विधान/नियम एवं सामान्य जानकारियाँ

विश्व मानवाधिकार परिषद एक परिचय

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना और आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन और समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागार करते हुए शासन-प्रशासन को अवगत करना परम उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाऐं प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद जैसी समस्याऐं दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आज़ादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज भी अधिकांश भारतवासी बेहतर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ, आवास, शुद्व पेयजल, न्याय, समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश मूल, लिंग, अमीरी, गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं प्रकृतिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप से लाने के लिए संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। परन्तु विडम्बना यह है, कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कि क्या भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है? गाँव मोहल्लों में सफाई नहीं होती, राशन की दुकान में सामान सही से नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता, अस्पतालों में दवाईयां नहीं मिलतीं, डाक्टर नर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते, सड़कें टूटी फूटी हैं, ग्राम-स्तर के अधिकारी से लेकर राजनेता सांसद,विधायक, मंत्री तक ध्यान नहीं देते, गाँवों एवं पिछड़े इलाकों में बिजली ठीक से नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है, तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया। हमारा कार्य लोगों को जागरूक करना है। हम किसी भी सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं करते हैं। संगठन अपने सदस्यों एवं आप सभी के सहयोग से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। अगर आप अपना कार्य किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कार्यालय भेज रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति आपका विश्वस्त हो। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें जो आपकी निःस्वार्थ भाव से आपकी पूरी मदद करेंगे। जिससे आपकी आवाज को हम अपने संगठन के माध्यम से शासन- प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुचा सके मानव सेवा ही संगठन का परम उद्देश्य है :-

(1) विश्व मानवाधिकार परिषद्

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक संगठन है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, कि यह संगठन मानवाधिकार के प्रचार-प्रसार एवं मानवाधिकार हनन मामलों की रोक-थाम के लिये संगठन की मदद से आम जनता की जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुचॉने एवं उनकी समस्याओं का निराकारण कराने के लिए बनाया गया है। विश्व मानवाधिकार परिषद् का मूल उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण का प्रचार-प्रसार करना है। जिससे आम जनता को अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सके, और जब आम जनता को अपने अधिकार और सामाजिक न्याय के बारे में पता होगा, तो देश की आम जनता सुखमय जीवन जी सकेगी, जिससे देश और समाज में खुशहाली जैसा माहौल बना रहेगा। जिससे कोई भी व्यक्ति छोटी-छोटी बातों के लिए चौकी/थाना व न्यायालय की शरण में नहीं जायेंगे। तभी देश में राष्ट्रीय एकता एवं भाई चारे की मिसाल कायम हो सकेगी। जिससे सम्पूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में मानवता का संदेश देगें। तभी हमारे भारत देश का नाम रोशन होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक हित में कार्य करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करना हमारा परम उद्देश्य है। विश्व मानवाधिकार परिषद् में समाज के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई अलग-अलग प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। सभी प्रकोष्ठ भी एक समान ही विश्व मानवाधिकार परिषद् के विधान से पोषित एवं शक्ति प्राप्त हैं। संस्थापक सदस्यों में मुख्यतः संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष/राष्ट्रीय संयोजक/मुख्य महासचिव/संरक्षक (जिनका चुनाव नहीं होगा) इसके अलावा सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 01 वर्ष का रखा गया है। जिसको समय एवं परिस्थितियों को देखते हुए घटाया/बढ़ाया जा सकता है। विश्व मानवाधिकार परिषद सेवा-भाव से प्रेरित होकर किसी भी पदाधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है लेकिन संगठन में किसी को भी अन्य प्रभाव से नामांकन नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा करता हुआ कोई भी पदाधिकारी पाया जाता है, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(2)लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा, श्रृद्वा एवं विश्वास रखता है। आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा, पूर्व न्यायाधीश स्व0 पी0एन0 भगवती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विश्व मानवाधिकार परिषद् मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार जैसे समस्त अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद में आस्था रखता है, एवं विश्व मानवाधिकार परिषद् का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है, जिसमें आम जनता जागरूक हो, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, अमन-चैन और अपने अधिकारों के साथ सुखमय जीवन यापन कर सकें। विश्व मानवाधिकार परिषद् शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। इसमें सत्याग्रह तथा शांतिपूर्ण विरोध शामिल है। विश्व मानवाधिकार परिषद् विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के

प्रति सच्ची श्रृद्वा एवं निष्ठा बनाये रखेगा, तथा सन्निहित मानव अधिकार, समाजवाद, धर्म निर्पेक्षता एवं सामाजिक न्याय के सिद्न्तों के प्रति प्रतिबद्व रहेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखेगा।

(3) क्या विश्व मानवाधिकार परिषद् पंजीकृत संगठन है ?

विश्व मानवाधिकार परिषद भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड संगठन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 16/2015 & 67/2018, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी यूनिक आईडी UP /2018/0199150, उधोग आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर UAN NO.UP50D0015583, आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड संगठन व वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एन जी ओ यू एस ए एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के एन जी ओ शाखा से भी सम्बद्धता का प्रस्ताव चल रहा है, एवं सदस्य क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया जिसकी सदस्यता संख्या - CORP/NGO/6512/2019-20 है।

विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का उददेश्य है, न भ्रष्टाचार करेंगे न भ्रष्टाचार सहेंगे, एक नई मिसाल कायम करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाना है नया भारत बनाना है। विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन के पदाधिकारी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। विश्व मानवाधिकार परिषद् के समस्त प्रकोष्ठ संगठन के अंग है।

(4) सदस्य कैसे बनें :

विश्व मानवाधिकार परिषद से जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को कम्पलीट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ रु0 525 /- सदस्यता सहयोग राशि देकर संगठन का प्रारंभिक सदस्य बना जा सकता है। परन्तु प्रत्येक प्रारंभिक सदस्य को रु0 10/- प्रतिमाह सहयोग राशि जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। सदस्यता सहयोग राशि को सीधे संगठन (विश्व मानवाधिकार परिषद्) के बैंक खाते में जमा कराने का प्राविधान है। जिसे संस्थापक /राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगरानी में केन्द्रीय कमेटी कार्यालय संचालन, अनुसंधान, मानव अधिकार जागरूकता अभियान, मानवाधिकार शिक्षा, निःशुल्क कानूनी सलाह, लेखन सामग्री एवं समय-समय पर होने वाले सेमिनारों के आयोजन व अधिकारों की प्राप्ति के लिए होने वाले शांतिपूर्ण धरना -प्रदर्शन आंदोलनों आदि में खर्च करेगी है।

(5) विश्व मानवाधिकार परिषद को प्राप्त होने वाली सहयोग राशि व शुल्क का विभाजन प्रति कार्यकारिणी सदस्यवार प्राप्त शुल्क की धनराशि रु0 10/- प्रतिमाह को रु0 02/- स्थानीय कमेटी, रु0 02/- जिला कमेटी में, रु0 02/- प्रदेश कमेटी में तथा रु0 04/-(शेष राशि) केन्द्र कमेटी/राष्ट्रीय कमेटी में विभाजित किया गया है।

(6) विश्व मानवाधिकार परिषद् का परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु कम्पलीट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त परिचय पत्र जारी किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।

नोट- विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन का प्रारम्भिक सदस्यों के लिए मात्र रू0 525/- है। जिसे घटाकर रू0 150/- कर दी गयी है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की सदस्यता लेने के इच्छुक है, लेकिन वह सदस्यता शुल्क जमा नहीं कर सकते ऐसे लोगों को नि:शुल्क सदस्यता देने का प्राविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्राप्त है एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्यों को प्रत्यके माह कम से कम 01 सदस्य को संगठन से जोड़ना आवश्यक होगा।

(7) संगठन के विकास हेतु दान एंव सहयोग राशि प्राप्त करना। विश्व मानवाधिकार परिषद् का सदस्य न होने के बावजूद भी यदि कोई दानी सज्जन अपना योगदान देना चाहते है। तो वे विश्व मानवाधिकार परिषद् के सम्बन्धित खाते में धनराशि जमा करके जमापर्ची की फोटो प्रति प्रधान कार्यालय भेजकर पावती रसीद मँगा सकते हैं। यह राशि सामाजिक हित में उपयोग की जायेगी और जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा आवश्यकता पड़ने पर कोर कमेटी के समक्ष सार्वजनिक किया जायेगा।

(8) विश्व मानवाधिकार परिषद् की कार्यकारिणी सम्पूर्ण भारतवर्ष में मानवाधिकारों का हनन रोकने एवं मानवाधिकार संरक्षण का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से कार्य करेंगी। जिससे देश और समाज के ज़रूरतमंदों को सामाजिक, प्रशासनिक एवं सरकारी लाभ मिल सके । जिसके लिये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी एंव आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। जो निम्न प्रकार है :-

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

01. राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष।
02. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट।
03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पॉच पोस्ट ।
05. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट।
06. राष्ट्रीय प्रभारी एक पोस्ट ।
07. राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. राष्ट्रीय महासचिव चार पोस्ट ।
09. राष्ट्रीय सचिव दस पोस्ट ।
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. राष्ट्रीय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12 राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।
14. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।

विश्व मानवाधिकार परिषद

15. राष्ट्रीय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
16. राष्ट्रीय प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

जोनल कार्यकारिणी,

01. जोनल अध्यक्ष :- संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त।
02. जोनल संरक्षक चार पोस्ट।
03. जोनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. जोनल उपाध्यक्ष पॉच पोस्ट ।
05. जोनल संयोजक एक पोस्ट।
06. जोनल प्रभारी एक पोस्ट ।
07. जोनल प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. जोनल महासचिव चार पोस्ट ।
09. जोनल सचिव आठ पोस्ट ।
10. जोनल संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. जोनल विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12 जोनल मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 जोनल सलाहकार चार पोस्ट ।
14. जोनल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. जोनल पी0आर0ओ0 एक पोस्ट।
16. जोनल प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. जोनल मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. जोनल कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

प्रदेश कार्यकारिणी,

01. प्रदेश अध्यक्ष :- संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. प्रदेश संरक्षक चार पोस्ट।
03. प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. प्रदेश उपाध्यक्ष पॉच पोस्ट ।
05. प्रदेश संयोजक एक पोस्ट
06. प्रदेश प्रभारी एक पोस्ट ।
07. प्रदेश प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. प्रदेश महासचिव चार पोस्ट ।

विश्व मानवाधिकार परिषद

09. प्रदेश सचिव आठ पोस्ट ।
10. प्रदेश संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. प्रदेश विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12 प्रदेश मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 प्रदेश सलाहकार चार पोस्ट ।
14. प्रदेश कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. प्रदेश पी0आर0ओ0 एक पोस्ट।
16. प्रदेश प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. प्रदेश मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

मंण्डल कार्यकारिणी :-

01.मंण्डल अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष /प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. मंण्डल संरक्षक एक पोस्ट।
03. मंण्डल वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
04. मंण्डल उपाध्यक्ष तीन पोस्ट ।
05. मंण्डल संयोजक एक पोस्ट ।
06. मंण्डल प्रभारी एक पोस्ट ।
07. मंण्डल प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. मंण्डल महासचिव दो पोस्ट ।
09. मंण्डल सचिव चार पोस्ट ।
10. मंण्डल संगठन सचिव दो पोस्ट ।
11. मंण्डल विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
12 मंण्डल मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 मंण्डल सलाहकार दो पोस्ट ।
14. मंण्डल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. मंण्डल पी0आर0ओ0 एक पोस्ट।
16. मंण्डल प्रवक्ता एक पोस्ट ।
17. मंण्डल मीडिया प्रभारी एक पोस्ट ।
18. मंण्डल कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

जिला कार्यकारिणी,

01. जिला अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष /प्रदेश अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. जिला संरक्षक एक पोस्ट।

03. जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
04. जिला उपाध्यक्ष तीन पोस्ट ।
05. जिला संयोजक एक पोस्ट ।
06. जिला प्रभारी एक पोस्ट ।
07. जिला प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. जिला महासचिव दो पोस्ट ।
09. जिला सचिव चार पोस्ट ।
10. जिला संगठन सचिव दो पोस्ट ।
11. जिला विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
12 जिला मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 जिला सलाहकार दो पोस्ट ।
14. जिला कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. जिला पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. जिला प्रवक्ता एक पोस्ट ।
17. जिला मीडिया प्रभारी एक पोस्ट ।
18. जिला कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।
20. वालेंटियर्स मेम्बर

तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कार्यकारिणी: -

01. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ अध्यक्ष एक पोस्ट ।
02. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
03. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संयोजक एक पोस्ट ।
04. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ प्रभारी एक पोस्ट ।
05. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / महासचिव एक पोस्ट ।
06. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / सचिव दो पोस्ट ।
07. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संगठनसचिव दो पोस्ट ।
08. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ कानूनी सलाहकार एक पोस्ट ।
09. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
10. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ मीडियाप्रभारी एक पोस्ट ।
11. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ सदस्य आवश्यकतानुसार।
12. वालेंटियर्स मेम्बर आवश्यकतानुसार।

ग्राम पंचायत कार्यकारिणी:

1. ग्राम पंचायत अध्यक्ष एक पोस्ट ।
2. ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।

विश्व मानवाधिकार परिषद

3. ग्राम पंचायत सचिव एक पोस्ट ।

4. ग्राम पंचायत कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।

5. ग्राम पंचायत सदस्य आवश्यकतानुसार।

विश्व मानवाधिकार परिषद् के निम्न प्रकोष्ठों का गठन।

1.अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

2. महिला प्रकोष्ठ

3. लीगल प्रकोष्ठ

4. यूथ प्रकोष्ठ

5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ

6. ओबीसी प्रकोष्ठ

7. एससी /एसटी प्रकोष्ठ

8. शिक्षक प्रकोष्ठ

9. चिकित्सा प्रकोष्ठ

10.मीडिया प्रकोष्ठ

11.स्टूडेंट् प्रकोष्ठ

12.प्रबुद्ध प्रकोष्ठ

13.एक्स आर्मी प्रकोष्ठ

14.किसान प्रकोष्ठ

15.व्यापार प्रकोष्ठ

16.खेल प्रकोष्ठ

17.संस्कृति प्रकोष्ठ

18.एन्टी कृप्शन प्रकोष्ठ

19.एल.जी.बी.टी. प्रकोष्ठ

20.पुलिस परिवार सुरक्षा प्रकोष्ठ

21.मजदूर सुरक्षा प्रकोष्ठ

22.चाइल्ड सुरक्षा प्रकोष्ठ

कोओर्डिनेटर

1.ब्राहमण समाज

2.क्षत्रिय समाज

3.मुस्लिम समाज

4.वाल्मीकि समाज

5.सिंधी समाज

6.वर्मा समाज

7.सिक्ख समाज

विश्व मानवाधिकार परिषद

8. बौद्ध समाज
9.कुशवाहा समाज
10.भूमिहार समाज
11.जाट समाज
12.कायस्थ समाज
13.जैन समाज
14.वैश्य समाज
15.यादव समाज
16.बंगाली समाज
17.मुस्हर समाज
18.खत्री समाज
19.क्रिश्चियन समाज
20.साहू समाज
21.मौर्य समाज
22.राजपूत समाज
23.राठौर समाज

नोट :- उपरोक्त सभी प्रकोष्ठों में राष्ट्रीय, ज़ोन, प्रदेश ,मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की कार्यकारिणी मुख्य कार्यकारिणी के अनुरूप रहेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् में प्रत्येक प्रकोष्ठ का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो सीधे संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करेगा। उपरोक्त वर्णित ज़ोनल अध्यक्ष अपने ज़ोनल के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का कार्य देखेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य अपनी संगठनात्मक गतिविधियों की सीधे रिपोर्टिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को करेंगे, वहीं प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेशाध्यक्ष अपने राज्य की सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की सीधी रिपोर्टिंग अपने ज़ोनल अध्यक्ष को करेंगे। कुछ खास विषयों में संगठन का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उनको सीधी रिपोर्टिंग कर सकता है, ताकि विश्व मानवाधिकार परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी बारीकी से अपनी समाज सेवा सुचारू रूप से कर सके।

विश्व मानवाधिकार परिषद् में आपका स्वागत है।

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना है, एवं उनकी आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुचॉना ही एकमात्र उद्देश्य है। विश्व मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को ही सिर्फ नया सदस्य बनाने/नवीनीकरण/निरस्त करने का अधिकार है। किसी भी पोस्ट/पद/सदस्य के लिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी/ज़ोनल पदाधिकारी/प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी /मण्डल अध्यक्ष/पदाधिकारी/ज़िला, नगर, तहसील ब्लॉक, अध्यक्ष या पदाधिकारी आपको मनोनय पत्र

या आई0डी0 कार्ड देते हैं, तो पत्र/आई0डी0 कार्ड लेने वाले सदस्य/पदाधिकारी इन नम्बर पर अपने पत्र और आई0डी0 संख्या सूचित करें। या व्हॉट्सऐप करें 09454110126, 09794100006 या मेल करें। जिससे सदस्य के पत्र और पहचान पत्र को सत्यापित किया जा सके। जिससे कोई कार्ड लेटर फर्जी न जारी कर सके और पूरी बारीकी से नज़र रखी जा सके।

कोर कमेटी एवं सलाहकार बोर्ड का गठन

इसके लिए संगठन के संस्थापक /राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए एक कोर कमेटी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एवं सलाहकार व सात विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ एक सलाहकार बोर्ड जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं सलाहकार व 17 विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।ये सभी पदाधिकारी एवं सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेगें। और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगें जिस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोर कमेटी व सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं राष्ट्रीय विधिक सलाहकार करेगें।

नोटः- जिन पदाधिकारियों/सदस्यों का नाम संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, सिर्फ वही संगठन के पदाधिकारी/सदस्य हैं। विश्व मानवाधिकार परिषद से सम्बद्ध संगठन एवं समाचार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा एवं न्याय परिषद,विश्व मुस्लिम बोर्ड, ऑल इण्डिया प्रेस परिषद्, भारतीय मतदाता जागरूकता संघ, आलॅ इण्डिया मुस्लिम कान्फ्रेस भारतीय मान्यता प्राप्त पत्रकार परिषद्, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, मीडिया टाइम्स लखनऊ, स्वतंत्र स्वरूप आदि है। विश्व मानवाधिकार परिषद् परिवार परिषद् के उद्देश्यों के सफल निर्वहन के साथ दसवाँ स्थापना दिवस 02.02.2024 को मनाएगी। यह परिषद् का दसवाँ स्थापना दिवस वर्ष होगा। विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन सभी धर्मो का सम्मान करता है, कोई ऊँच नीच भेदभाव नही करता। सभी धर्म के लोगों को अपने-अपने धर्मो के प्रति आस्था रखने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए सभी धर्म के लोगों को होली , ईद ,बक़रीद, दीपावली, छठ के साथ ही साथ सभी राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि सभी पर्व को शान्ति और भाईचारे के साथ मनाएँ और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें।

सदस्यता शुल्क /सहयोग एंव दान राशि जमा करना।

किसी प्रकार का लेनदेन या सदस्यता शुल्क सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद् के एकाउण्ट में ही जमा करें। किसी भी प्रकार के कैश लेनदेन पर संगठन ज़िम्मेदार नहीं होगा। जब कैशलेस बनेगा इण्डिया तभी तो आगे बढ़ेगा इण्डिया। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
मो0 न0- 09454110126, 09794100006।

विश्व मानवाधिकार परिषद :-

विश्व मानवाधिकार परिषद सामाजिक विकास हेतु वृद्धो के लिये वृद्धाश्रम/धर्मशाला/गरीब बच्चों के लिये स्कूल बनाना चाहता है। जिससे समाज के उन लोगों की भलाई हो सके, जो गरीब व असहाय

लोगो की श्रेणी में आते हैं। एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी हमारे जाबाज पत्रकार बंधु जो अपनी जान जोखिम में डालकर खबरों को एकत्र करते हैं। जिससे आम जनता को देश विदेश की खबरों की जानकारी प्राप्त होती है, उन जाबाज पत्रकार बंधुओं के लिए जिला स्तर पर प्रेस क्लबो का निर्माण कराना हमारा परम् कर्तव्य है। इसलिए कोई भी सहयोग कर्ता इस पुनीत कार्य के कार्य के लिए ज़मीन अथवा निर्माण सामग्री या तन-मन-धन से वृद्धाश्रम/स्कूल/धर्मशाला/निःशुल्क क़ानूनी सहायता केंद्र, जिससे हर मजलूमों को बिल्कुल फ्री कानूनी लड़ाई संगठन के अधिवक्ताओं के द्वारा लड़ी जाएगी, जिसके लिए विश्व मानवाधिकार परिषद हर सम्भव कोशिश कर रहा है। ये सेवाएं जिला स्तर पर दी जाए, जिससे उन सभी मजलूमों को सहायता प्रदान की जा सके/प्रेस क्लब के निर्माण हेतु दान देकर इस पुनीत कार्य में विश्व मानवाधिकार परिषद् की मददे करें। विश्व मानवाधिकार परिषद् समाज के गरीब परिवारों के लिए ऑक्सीज़न, सिलेण्डर, बेटीयों की शादी के लिए बर्तन, दरी, गद्दा, तकिया, चादर ,साइकिल एवं ऐसे सामान जो समाज के काम आए, निःशुल्क सेवा प्रारम्भ करेगी। जो भी इच्छुक इसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, प्रधान कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं, एवं उन्हें पावती रसीद भी दी जायेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद के सामाजिक कार्य में संगठन का साथ दें, और सेवा करने का आनन्द प्राप्त करें। सहयोग कर्ता एवं दानदाता के नाम को दाता बोर्ड में अंकित किया जायेगा। दान ऑन-लाइन, ट्रान्सफर, चेक, ड्राफ्ट सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद् के नाम से ही स्वीकार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए संगठन की वेबसाइट **www.vmpgov.com** पर या मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करें - 09454110126, 09794100006

ई-मेल आई0डी0 :- vmpgov.np@gmail.com , vmpgov.786@gmail.com।

प्रत्येक कार्यकारिणी की जवाबदेही निम्न प्रकार से होगी :-

राष्ट्रीय/केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी , जोनल स्तर ज़ोनल अध्यक्ष एवं उनकी ज़ोनल कार्यकारिणी , प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं उनकी प्रदेश कार्यकारिणी , मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, इसके अलावा प्रत्येक तहसील/ब्लॉक/शहर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। यह नियय सभी प्रकोष्ठों में भी लागू होगा।

(9)प्रत्येक स्तर की कमेटी या कार्यकारिणी में पदों का विभाजन इस प्रकार है :-

01.राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष।

02. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट।

03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।

04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पॉच पोस्ट ।

05. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट

06. राष्ट्रीय प्रभारी एक पोस्ट ।

07. राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।

08. राष्ट्रीय महासचिव चार पोस्ट ।
09. राष्ट्रीय सचिव दस पोस्ट ।
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. राष्ट्रीय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12 राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13 राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।
14. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. राष्ट्रीय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट।
16. राष्ट्रीय प्रवक्ता चार पोस्ट ।

17. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।

18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।

19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

(10) विश्व मानवाधिकार परिषद् के अन्तर्गत् वर्तमान में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं:-

1.अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
2. महिला प्रकोष्ठ
3. लीगल प्रकोष्ठ
4. यूथ प्रकोष्ठ
5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ
6. ओबीसी प्रकोष्ठ
7. एससी /एसटी प्रकोष्ठ।
8. शिक्षक प्रकोष्ठ।
9. चिकित्सा प्रकोष्ठ
10.मीडिया प्रकोष्ठ
11.स्टूडेंट् प्रकोष्ठ
12.प्रबुद्ध प्रकोष्ठ
13.एक्स आर्मी प्रकोष्ठ
14.किसान प्रकोष्ठ
15.व्यापार प्रकोष्ठ
16.खेल प्रकोष्ठ
17.संस्कृति प्रकोष्ठ

विश्व मानवाधिकार परिषद

18.एन्टी कृप्शन प्रकोष्ठ
19.एल.जी.बी.टी. प्रकोष्ठ
20.पुलिस परिवार सुरक्षा प्रकोष्ठ
21.मजदूर सुरक्षा प्रकोष्ठ
22.चाइल्ड सुरक्षा प्रकोष्ठ

कोओर्डिनेटर

1.ब्राह्मण समाज
2.क्षत्रिय समाज
3.मुस्लिम समाज
4.वाल्मीकि समाज
5.सिंधी समाज
6.वर्मा समाज
7.सिक्ख समाज
8.बुद्धिष्ठ समाज
9.कुशवाहा समाज
10.भूमिहार समाज
11.जाट समाज
12.कायस्थ समाज
13.जैन समाज
14.वैश्य समाज
15.यादव समाज
16.बंगाली समाज
17.मुस्हर समाज
18.खत्री समाज
19.क्रिश्चियन समाज
20.साहू समाज
21.मौर्य समाज
22.राजपूत समाज
23.राठौर समाज

(11) परिषद् के महत्वपूर्ण नियम:-

1.विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी प्रोग्राम में लगने वाले पोस्टर/बैनर/फ्लैक्स पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एंव अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के फोटो सम्मानजनक स्थान पर लगाना अनिवार्य है।

विश्व मानवाधिकार परिषद

2.विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन का कार्य सुचारु रुप से चलाने के लिये एंव आम जन की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुचॉनें, एवं समाज को भय मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार पदों एंव प्रकोष्ठों का गठन करना, तथा समयानुसार परिस्थितियों को देखते आवश्यकतानुसार पदों एंव प्रकोष्ठों का विघटन किया जा सकता है, या किन्हीं विशेष कारणों से प्रकोष्ठ या कार्यकारिणी बिना सूचना दिये भंग की जा सकती है। यह अधिकार सिर्फ संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्राप्त है।

3. सामान्यतः विभिन्न स्तर के अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारियों के मनोनयन के बाद 30 से 45 दिन या अन्तिम 90 दिवस के अन्दर अपनी कार्यकारिणी गठन करने के साथ अनुशंसा हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसका मनोनयन निरस्त समझा जायेगा और नये अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी को मनोनित किया जा सकता है। अगर नवनियुक्त अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन के लिए चाहे, तो सम्बन्धित पदाधिकारियों का मनोनयन कर सकता है। विभिन्न स्तरों के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी गठन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यदि उनके द्वारा नियत समय में कार्यकारिणी गठित नहीं की जाती है, या सूचना नहीं दी जाती है। तो उनके स्थान पर उन्हें बिना कोई सूचना दिये, अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

4. भारतवर्ष के ऐसे राज्य या स्थान जहाँ कार्यकारिणी गठित नहीं है या निष्क्रिय लोगों को पदमुक्त किया जा चुका है, उसके लिये परिषद् या बाहर से प्रभारी नियुक्त किये जा सकते हैं। जिनका पहला कार्य यह होगा, कि उस राज्य से उचित व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना होगा जिससे वहां अध्यक्ष/प्रभारी की नियुक्ति की जा सकें।

5. विश्व मानवाधिकार परिषद् द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है, जिसका सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष/संस्थापक अध्यक्ष के पास सुरक्षित हैं।

6. विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा यदि किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या भारत देश की किसी भी राष्ट्रीय धरोहर को क्षतिग्रत या नुकसान पहुँचाने का कार्य करते है, या किसी भी अपराध के लिए समाज में नफरत या अशान्ति का माहौल फैलाने वाला व्यक्तिगत् रूप से स्वयं ज़िम्मेदार होगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या विश्व मानवाधिकार परिषद् के अन्य सदस्य ज़िम्मेदार नहीं माने जायेंगे। और ऐसा कोई भी अपराध या कृत्य किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किया जाता है, या सिद्ध होता है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही उस व्यक्ति का संगठन से स्वतः ही निष्कासन/पदमुक्त माना जायेगा।

7. विश्व मानवाधिकार परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष (संस्थापक अध्यक्ष) का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी भी स्तर के अध्यक्ष या किसी भी पद के पदाधिकारी को मनोनीत करने या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। एंव राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहें विशेष कार्यभार सौंप सकता हैं। किन्तु अपना कार्यकाल पूरा करने या इसी बीच कोई भी पदाधिकारी या सदस्य को

गलत आचरण या किसी भी अपराध में लिप्त पाये जाने पर तत्काल पदमुक्त किया जा सकता है।

8. विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी वर्तमान/पूर्व पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता, प्रारम्भिक /साधारण सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा परिषद् के लैटरपैड, सील, आई0डी0 कार्ड आदि का दुरुपयोग किया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी सदस्य को बेवजह परेशान, प्रताड़ित, बदनाम, छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, मौखिक/लिखित आदि किसी भी प्रकार से कोई क्रिया-कलाप करता है। तो उसके खिलाफ समक्ष न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार होगा। और कानूनी कार्यवाही में आए खर्च को उसके द्वारा ही वहन किया जायेगा, एवं किसी भी तरह के विवाद में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

(12) विश्व मानवाधिकार परिषद् के नियम:-

01.संगठन का नाम :- विश्व मानवाधिकार परिषद् ।

02. सदस्यता :- विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन में जो कोई भी व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता हो, एंव साफ-सुथरी छवि का हो सदस्य बन सकता है। सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति देश के किसी भी न्यायालय में दण्डिंत न किया गया हो, और साथ ही साथ किसी भी थाने में कोई अपराधिक मुकदमा पंजीकृत न हो, एवं किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य न हो, राष्ट्र के विकास के साथ-साथ मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकार संरक्षण का प्रचार-प्रसार और सामाजिक कार्य करने को इच्छुक हों, तथा विश्व मानवाधिकार परिषद् की मूल भावना एवं विचारधारा तथा संगठन के संविधान से एकरूप होकर निर्धारित कार्यक्षेत्र का पालन करने को तैयार हों सदस्यता प्रदान की जा सकती हैं।

03.सदस्यता के नियम प्रवेश एवं योग्यता :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् की सदस्यता के लिये कोई योग्यता निंधारित नहीं है, यह अध्यक्ष/प्रभारी के स्व-विवेक पर है, परन्तु संगठन एवं उसके प्रकोष्ठों के विषयों के अनुसार हो।

04.सदस्यता सहयोग राशि :-

विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियो को संगठन के नियमों के अनुसार सदस्यता/सहयोग राशि अदा करना अनिवार्य है।

विश्व मानवाधिकार परिषद्

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

01. राष्ट्रीय अध्यक्ष : 11000 /
02. राष्ट्रीय संरक्षक: 101/
03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 7500 /
04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष: 7000 /
05. राष्ट्रीय संयोजक: 11000 /
06. राष्ट्रीय प्रभारी: 11000 /
07. राष्ट्रीय मुख्य महासचिव: 11000 /
08. राष्ट्रीय महासचिव: 8500 /
09. राष्ट्रीयसचिव: 7500 /
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव: 6500 /
11. राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार: 101/
12. राष्ट्रीय सलाहकार: 5100/
13. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष: 6500 /
14. राष्ट्रीय P.R.O.:6500/
15. राष्ट्रीय प्रवक्ता: 6500 /
16. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी: 6500 /
17. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य 5100 /
18. आजीवन सदस्य 2100 /
19. विशेष आमंत्रित सदस्य 1100 /

ज़ोनल कार्यकारिणी : -

01. ज़ोनल अध्यक्ष: 7500 /
02. ज़ोनल संरक्षक : 101/
03. ज़ोनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 5100
04. ज़ोनल उपाध्यक्ष: 5100 /
05. ज़ोनल संयोजक: 7500 /
06. ज़ोनल प्रभारी: 7500 /
07. ज़ोनल मुख्य महासचिव: 7500 /
08. जोनल महासचिव: 5100 /
09. ज़ोनल सचिव: 4100 /
10. ज़ोनल संगठन सचिव: 4100 /
11. ज़ोनल लीगल एडवाइज़र: 101/
12. ज़ोनल सलाहकार: 4100 /

विश्व मानवाधिकार परिषद

13. जोनल कोषाध्यक्ष : 2100 /
14. ज़ोनल P.R.O.:4100/
15. ज़ोनल प्रवक्ता: 2100 /
16. ज़ोनल मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. ज़ोनल कार्यकारिणी सदस्य: 1100 /
18. आजीवन सदस्य 2100 /
19. विशेष आमंत्रितसदस्य: 1100 /

राज्य कार्यकारिणी: -

01. प्रदेश अध्यक्ष: 7500 /
02. प्रदेश संरक्षक: 101/
03. प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 4100 /
04. प्रदेश उपाध्यक्ष: 4100 /
05. प्रदेश संयोजक: 5100 /
06. प्रदेश प्रभारी: 5100 /
07. प्रदेश मुख्य महासचिव: 5100 /
08. प्रदेश महासचिव: 4100 /
09. प्रदेश सचिव: 3100 /
10. प्रदेश संगठन सचिव: 3100 /
11. प्रदेश कानूनी सलाहकार: 101/
12. प्रदेश सलाहकार: 3100/
13. प्रदेश कोषाध्यक्ष: 2100/
14. प्रदेश P.R.O.3100 /
15. प्रदेश प्रवक्ता 2100 /
16. प्रदेश मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य 1100 /
18. आजीवन सदस्य: 2100 /
19. विशेष आमंत्रित सदस्य: 1100 /

जोन / मंडल कार्यकारिणी: -

01. जोन अध्यक्ष: 2100 /
02. ज़ोन संरक्षक : 101/
03. ज़ोन वरिष्ठठ पाध्यक्ष: 2100 /
04. जोन उपाध्यक्ष: 2100 /

विश्व मानवाधिकार परिषद

05. ज़ोन संयोजक: 2100 /
06. ज़ोन प्रभारी: 2100 /
07. ज़ोन प्रमुख महासचिव: 2100 /
08. ज़ोन महासचिव: 2100 /
09. ज़ोन सचिव: 2100 /
10. जोन संगठन सचिव: 2100 /
11. ज़ोन लीगल एडवाइज़र: 101/
12. जोन सलाहकार: 2100 /
13. जोन कोषाध्यक्ष: 2100 /
14. जोन P.R.O.2100 /
15. ज़ोन प्रवक्ता: 2100 /
16. जोन मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. जोन कार्यकारिणी सदस्य: 1100 /
18. आजीवन सदस्य: 2100 /

जिला कार्यकारिणी: -

01. जिला अध्यक्ष: 1100 /
02. जिला संरक्षक: 101/
03. जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष: 1100 /
04. जिला उपाध्यक्ष: 1100 /
05. जिला संयोजक: 1100 /
06. जिला प्रभारी: 1100 /
07. जिला मुख्य महासचिव: 1100 /
08. जिला महासचिव: 1100 /
09. जिला सचिव: 1100 /
10. जिला संगठन सचिव: 1100 /
11. जिला कानूनी सलाहकार 101/
12. जिला सलाहकार: 1100 /
13. जिला कोषाध्यक्ष: 1100 /
14. जिला P.R.O.:1100/
15. जिला प्रवक्ता: 1100 /
16. जिला मीडिया प्रभारी: 1100 /
17. जिला कार्यकारिणी सदस्य: 525 /
18. वालेंटियर्स मेम्बर 101/

विश्व मानवाधिकार परिषद

तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कार्यकारिणी: -

01. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ अध्यक्ष: 750 /
02.तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ उपाध्यक्ष: 750 /
03.तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संयोजक: 750 /
04. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ प्रभारी: 750 /
05. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / महासचिव: 750 /
06. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / सचिव: 750/
07. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संगठनसचिव: 750 /
08. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ कानूनीसलाहकार: 101/.
09.तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कोषाध्यक्ष: 750 /
10.तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ मीडियाप्रभारी: 750 /
11. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ सदस्य: 250/
12. वालेंटियर्स सदस्य: 101/

ग्राम पंचायत कार्यकारिणी:

1.ग्राम पंचायत अध्यक्ष: 525/
2.ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष:525/
3.ग्राम पंचायत सचिव:525/
4.ग्राम पंचायत कोषाध्यक्ष :525/
5.ग्राम पंचायत सदस्य:150/

सभी प्रकोष्ठ के लिए भी उपरोक्त सदस्यता सहयोग राशि ही मान्य होगी।

1.अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
2. महिला प्रकोष्ठ
3. लीगल प्रकोष्ठ
4. यूथ प्रकोष्ठ
5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ
6. ओबीसी प्रकोष्ठ
7. एससी /एसटी प्रकोष्ठ।
8. शिक्षक प्रकोष्ठ।
9. चिकित्सा प्रकोष्ठ
10.मीडिया प्रकोष्ठ
11.स्टूडेंट् प्रकोष्ठ
12.प्रबुद्ध प्रकोष्ठ
13.एक्स आर्मी प्रकोष्ठ

14.किसान प्रकोष्ठ
15.व्यापार प्रकोष्ठ
16.खेल प्रकोष्ठ
17.संस्कृति प्रकोष्ठ
18.एन्टी कृप्शन प्रकोष्ठ
19.एल.जी.बी.टी. प्रकोष्ठ
20.पुलिस परिवार सुरक्षा प्रकोष्ठ
21.मजदूर सुरक्षा प्रकोष्ठ
22.चाइल्ड सुरक्षा प्रकोष्ठ

कोओर्डिनेटर

1.ब्राह्मण समाज
2.क्षत्रिय समाज
3.मुस्लिम समाज
4.वाल्मीकि समाज
5.सिधी समाज
6.वर्मा समाज
7.सिक्ख समाज
8.बुद्दिष्ठ समाज
9.कुशवाहा समाज
10.भूमिहार समाज
11.जाट समाज
12.कायस्थ समाज
13.जैन समाज
14.वैश्य समाज
15.यादव समाज
16.बंगाली समाज
17.मुस्हर समाज
18.खत्री समाज
19.क्रिश्यिन समाज
20.साहू समाज
21.मौर्य समाज
22.राजपूत समाज
23.राठौर समाज

नोटः-संगठन के नियमों के खिलाफ कार्य करने या किसी गंभीर आरोप में लिप्त पाए जाने की दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको पदमुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द कर सकते हैं।

(13) विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन से सम्बन्धित किसी भी तरह के विवाद में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

(14) विश्व मानवाधिकार परिषद् और सम्बद्ध संगठन/प्रकोष्ठ की कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी यहाँ प्रदर्शित की गई है। परिषद् के नियम के बिन्दु (1) से (14) तक जो यहाँ प्रदर्शित है, कि परिषद् से सम्बद्ध सभी संगठन/प्रकोष्ठ में लागू होंगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् के पूर्ण नियम, उपनियम की जानकारी कोई भी पदाधिकारी/सदस्य किसी भी कार्य दिवस में संगठन के प्रधान कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते है व संगठन की वेबसाइट www.vmpgov.com पर भी उपलब्ध हैं।

मानव अधिकार क्या है।

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, जो आम आदमी के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप सँयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गए हैं, और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है।

जाँच कार्य से सम्बन्धित प्राप्त अधिकार :-

अधिनियम के अन्तर्गत् किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग की सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अन्तर्गत् सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विशेष रूप से सम्बन्धित पक्ष को तथा गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य करने एवं शपथ देकर परीक्षण करने का अधिकार, किसी दस्तावेज़ का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार, शपथ पर गवाही लेने का अधिकार और किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने का अधिकार, गवाहियों अथवा दस्तावेज़ों की जाँच हेतु कमीशन जारी करने का अधिकार। आयोग में पुलिस अनुसंधान दल भी है, जिसके द्वारा प्रकरणों की जाँच की भी जाती है।

उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के कार्य :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अन्तर्गत् उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

1.आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करने पर कि, किसी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है, अथवा उसने ऐसा हनन रोकने की उपेक्षा की है, तो ऐसी शिकायतों की जाँच करना।

2.किसी न्यायालय में विचाराधीन मानव अधिकारों के हनन के मामले में सम्बन्धित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामले की कार्यवाही में भाग लेना।

3.राज्य सरकार को सूचित करके, किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान का जहाँ लोगों को चिकित्सा सुधार अथवा सुरक्षा हेतु निरुद्ध अथवा ठहराया जाता है, वहाँ के निवासियों की आवासीय दशाओं का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उसके बारे में अपने सुझाव देना।

4.संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव देना।

5.आतंकवाद एवं ऐसे सारे क्रिया-कलापों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों का उपभोग करने में बाधा डालते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाना।

6.मानव अधिकारों से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेना एवं उसे बढ़ावा देना।

7.समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, संचार माध्यमों एवं संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता लाना।

8.मानव अधिकारों की रक्षा करने या करवाने के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थानों को सहयोग प्रदान करना जिससे आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके ।

शुभकामनाओं सहित

डॉ0एम0 आर0 अंसारी (एल.एल.एम)

संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

विश्व मानवाधिकार परिषद् ।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा:-

विश्व मानवाधिकार परिषद

प्राक्कथनः

10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुयी और उसे महासभा ने स्वीकार किया। इसका मसौदा बनाने वालों की असाधारण अन्तर्दृष्टि और संकल्प ने एक ऐसा दस्तावेज़ दिया जिसने पहली बार सभी लोगों के लिए एक वैयक्तिक संदर्भ में सार्वभौमिक मानवाधिकार निर्धारित किए। अब 360 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध, यह घोषणा दुनिया का सर्वाधिक अनूदित दस्तावेज़ है। इसी सार्वभौमिक प्रकृति और पहुँच का यह एक प्रमाण है। इसने अनेकानेक नव-स्वतंत्र राष्ट्रों और नए लोकतंत्रों के संविधानों को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा मापदण्ड बन चुका है जिसके ज़रियें हम जो गलत या सही हैं, उसे जानते हैं या हमें जानना चाहिए, उसका आंकलन करते हैं।यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि यह अधिकार ऐसी जीवन्त वास्तविकता बने जिसे सभी जगहों के सभी लोग आसानी से समझ सकें और इसे लाभांवित हो सकें। जिन लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता रहती है उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि यह घोषणा अस्तित्व में आ चुकी है और उन्हीं के लिए हैं।इस घोषणा को स्वीकार किये जाने की 71वीं वर्षगाँठ हम सबके लिए इस घोषणा के दर्शन के प्रति पुनः समर्पित होने का एक अवसर है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने स्वीकार किये जाने के दिन थी। मुझे आशा है कि आप इसे अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे।

बान की मून

महासचिव

प्रस्तावनाः

आज यह कल्पना करना कठिन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तब कैसे आधारभूत परिवर्तन का प्रतीक रही होगी जब इसे 60 वर्ष पहले अपनाया गया था। युद्ध के बाद विध्वंस से भयभीत उपनिवेषवाद से बटी और असमानताओं से टूटी-बिखरी दुनिया में अन्तर्निहित मान-मर्यादा और रंग, पंथ या मूल से बेपरवाह सभी मनुष्यों में समानता से पहले सार्वभौमिक और विधिवत् प्रण को सीमांकित करता एक घोषणापत्र, एक निर्भीक और साहसिक प्रतिज्ञा थी, ऐसी जिसकी सफलता निश्चित नहीं थी। इसमें उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं के संरक्षण का एक ऐसा व्यापक ढाँचा बन उठा है जिसके हम अधिकारी हैं। यही तथ्य घोषणा के मसौदाकारों के दर्शन को एक श्रृद्धांजलि है और उन सभी मानवाधिकार संरक्षकों को भी जिन्होंने छः दशकों से भी अधिक समय तक इस दर्शन को एक वास्तविकता बनाने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष दूर तक जायेगा और उसमें भी घोषणा की ताकत है। यह एक जीवित दस्तावेज़ है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

लुई आर्बर,

मानवाधिकार उच्चायुक्त।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा:

10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की, वे इस घोषणा का प्रचार-प्रसार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किये बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में इसके प्रचार, प्रदर्शन पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें।इसी घोषणा का सरकारी पाठ सँयुक्त राष्ट्रों की इन पाँच भाषाओं में प्राप्त है, अंग्रेज़ी, चीनी, फ्राँसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहाँ दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रस्तावना:-

चूँकि मानव परिवारों के सभी सदस्यों की जन्मजात प्रतिष्ठा तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूँकि मानवाधिकारों की अवहेलना और घृणा के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की अन्तर्भावना उत्पीड़ित हुई है, चूँकि ऐसी विश्व-व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, जनसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित की गयी है। चूँकि अगर अन्यायमुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे अन्तिम उपाय समझ कर मजबूर नहीं हो जाना है तो कानून के शासन द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। चूँकि राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों का बढ़ाना आवश्यक हैं चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता के बुनियादी मानवाधिकारों में मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और योग्यता में और नर-नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को चार्टर में दोहराया गया है और यह निश्चित किया गया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक प्रगति एवं जीवन यापन के बेहतर स्तर को प्रोन्नत किया जाये।चूँकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सँयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे।चूँकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक ज़रूरी है, इसलिए अब महासभा घोषित करती है, कि मानवाधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की साझा उपलब्धि है कि जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरन्तर दृष्टि में रखते हुए शिक्षण और शिक्षा के द्वारा प्रयास करेगा कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना प्रवर्तित हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जायें जिससे सदस्य देशों की जनता उनके द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराये।

अनुच्छेद-1

प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से समस्त मानव प्राणी स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। वे तर्क तथा विवेक से सम्पन्न हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ मातृभाव से पेश आना चाहिए।

अनुच्छेद-2

इस घोषणा में सन्निहित समस्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म तथा अन्य स्थिति जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जिस किसी भी देश या राज्यक्षेत्र का रहने वाला हो उसका उसके देश के राजनीतिक अथवा अधिकार क्षेत्रीय या उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, चाहें वह देश स्वाधीन, न्यासाधीन, गैर-स्वशासित अथवा प्रभुसत्ता के किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन आता हो।

अनुच्छेद-3

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद-4

किसी को भी गुलामी या बेगारी की स्थिति में नहीं रखा जायेगा, दासता और दास व्यापार अपने सभी प्रकारों में प्रतिबंधित होगा।

अनुच्छेद-5

किसी को भी शारीरिक यातना या उसके साथ क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जायेगा और न किसी को अमानुषिक दण्ड दिया जायेगा।

अनुच्छेद-6

हर किसी को हर कहीं कानून की दृष्टि में व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है।

अनुच्छेद-7

कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना कानून का संरक्षण प्रत्येक को प्राप्त है। इस घोषणा का उल्लंघन करते हुए यदि कोई भेदभाव किया जाता है या भेदभाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सबको प्राप्त है।

अनुच्छेद-8

संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम

शिक्षा मानवाधिकार परिषद

राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से प्रभावी समाधान प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-9

किसी भी व्यक्ति को निरंकुश तरीके से गिरफ्तार, नज़रबंद नहीं किया जा सकता व देश से निकाला नहीं जा सकता।

अनुच्छेद-10

प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पूर्णरूपेण अधिकार है, कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के सम्बन्ध में और उस पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उसकी सुनवायी न्यायोचित् एवं सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय द्वारा की जाये।

अनुच्छेद-11

1.प्रत्येक व्यक्ति जो दण्डनीय अपराध से आरोपित किया गया है, उसे उस समय तक निर्दोष माने जाने का अधिकार होगा जब तक उसे सार्वजनिक सुनवायी के बाद अदालत द्वारा, जहाँ उसे अपनी सफाई पेश करनी की सभी आवश्यक सुविधायें मुहय्या करायी गई हों, कानून के अनुसार दोषी न सिद्ध कर दिया जाये।

2.किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या न करने के लिए अपराधी नहीं माना जायेगा जो उस समय किया या न किया गया होगा जब राष्ट्रीय अथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत वह दण्डनीय अपराध नहीं माना जाता था और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जायेगा जो उस समय दिया जाता जब वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद-12

किसी भी व्यक्ति के परिवार, उसके घर या पत्र व्यवहार की एकान्तता (प्राइवेसी) के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, और न उसके सम्मान तथा प्रतिष्ठा पर आक्षेप किया जायेगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध व्यक्ति को कानूनी बचाव का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद-13

1.प्रत्येक व्यक्ति को हर राज्य की सीमाओं के अंदर आवागमन और आवास की स्वतंत्रता प्राप्त है।

2.प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश वापस लौटने की स्वतंत्रता है।

विश्व मानवाधिकार परिषद

अनुच्छेद-14

1.उत्पीड़न किये जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार है।

2.इस अधिकार का सहयोग विशुद्धतया गैर-राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध किये गए कृत्यों से उत्पन्न अभियोजनों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-15

1.प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है।

2.किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से खारिज नहीं किया जा सकता और न उसे राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-16

1.वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को, नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर किसी पाबंदी के बिना आपस में विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। उन्हें विवाह के सम्बन्ध में, विवाह के दौरान तथा विवाह को भंग करने के पूर्ण अधिकार है।

2.विवाह केवल अभिलाषी युवक और युवती की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति पर ही किया जा सकता है।

3.परिवार समाज की स्वाभाविक एवं बुनियादी ग्रुप इकाई है अतएव उसे समाज तथा राज्य से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-17

1.प्रत्येक व्यक्ति को अकेले तथा अन्यों के साथ मिलकर सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार है।

2.किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, सोच और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या मत बदलने की स्वतंत्रता, अकेले या समुदाय में अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से उपदेश, आचरण, उपासना और अनुपालन द्वारा अपने धर्म या मत को मानने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-19

विश्व मानवाधिकार परिषद

प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विचार को अपनाने और उसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस अधिकार में किसी हस्तक्षेप के बिना मत अपनाने तथा बिना किन्ही सीमाओं के सूचना और विचार ग्रहण करने, खोजने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-20

1.प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने संघबद्ध होने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

2.किसी को भी संघ विशेष का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-21

1.प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में, प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

2.प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समानता के आधार पर प्रवेश करने का अधिकार है।

3.सरकार की सत्ता जनता की इच्छा पर ही टिकी होगी, इस इच्छा का प्रकटन नियतकालिक एवं यथार्थ रूप से वास्तविक चुनावों में होगा जो सार्वजनिक तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान या इसी के समान किसी अन्य स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया से कराये जायेंगे।

अनुच्छेद-22

समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुरूप अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पात्र है।

अनुच्छेद-23

1.प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, अपनी पसंद के अनुसार रोज़गार चुनने, न्यायोचित तथा अनुकूल परिस्थितियों में काम करने एवं बेरोज़गारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

2.प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार है।

3.काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना न्यायोचित् एवं अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल आजीविका की व्यवस्था कर सकेगा तथा आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा

विश्व मानवाधिकार परिषद

उसकी पूर्ति हो सकेगी।

4.प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमे शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद-24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और फुरसत के क्षण बिताने का अधिकार है, जिसमें कार्यावधि या काम के घंटों की यथोचित् सीमा तथा नियतकालिक सवेतन अवकाश शामिल है।

अनुच्छेद-25

1.प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपयुक्त हो जिसमें खाद्य परिधान, आवास और चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सामाजिक सेवायें और बेरोज़गारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, वृद्धावस्था या अपने देश से बाहर परिस्थितियों में आजीविका के साधन लुप्त हो जाने की स्थिति में संरक्षण के अधिकार शामिल हैं।

2.जच्चा और बच्चा विशेष देखभाल तथा सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चों को, चाहें वह विवाहिता से या अविवाहिता से उत्पन्न हुए हों, उन्हें समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद-26

1.प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी चरणों में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और वयासायिक शिक्षा सामान्य तौर पर उपलब्ध रहेगी तथा उच्चतर शिक्षा योग्यता के आधार पर सबकी पहुँच के अन्दर होगी।

2.शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को सुदृढ करना होगा। यह सभी राष्ट्रों एवं धार्मिक ग्रुपों के बीच सद्भावना को प्रवर्तित करेगी और शान्ति बनाये रखने सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगी।

3.अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दिलानी है, यह निश्चित करने का अधिकार अभिभावकों को होगा।

अनुच्छेद-27

1.प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनन्द उठाने और इसके वैज्ञानिक उन्नयन तथा उससे हुए लाभों का उपभोग करने का अधिकार है।

2.प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से संबद्ध नैतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसकी रचना उसने स्वयं की हो।

अनुच्छेद-28

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद-29

1.प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति दायित्व है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो सकता है।

2.अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित उन सीमाओ से बंधा रहेगा जिनका एकमात्र उद्देश्य अन्यों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उचित पहचान और मान्यता देना तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सर्वसाधारण के कल्याण की न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करना है।

3.इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी स्थिति में सँयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-30

इस घोषण के किसी भी अंश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि किसी देश, ग्रुप या व्यक्ति को इसमें प्रदत्त किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करने का अधिकार मिल जाता है।

सँयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र,

55 लोधी एस्टेट,

नई दिल्ली-110003.

विश्व मानवाधिकार परिषद्'' से क्यों जुड़ें ?

1.आम लोगों की मदद के लिए निःस्वार्थ कार्य करना।

2.अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने एवं और आम लोगों को जागरुक करने के लिए उनको

विश्व मानवाधिकार परिषद

जानकारी देना।

3.मनुष्य स्मिता को बढ़ाने, विश्व निर्माण में योगदान देने के लिए कार्य करना।

4.अन्याय, अव्यवस्था, शोषण, अराजकता, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाना।

5.अधिक से अधिक लोगों से परिचय और सम्बन्ध बनाने के लिए आम जनता को जागरूक होना ।

6.सम्मानजनक स्थिति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करना।

7.कानून व्यवस्था को मज़बूत बनाने में शासन प्रशासन को सहयोग करने के लिए कार्य करना।

8.समाज में अधिक से अधिक दयाभाव को बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए आगे से आगे कदम उठाए।

हमारा उद्देश्य:-

1.देश के नागरिकों को एकजुट एंव जागरूक करना।

2.देश के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना एवं उनके मान-सम्मान की सुरक्षा करना।

3.देश के नागरिकों को शैक्षिक, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाना।

4.नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति नागरिकों को जागरुक करना।

5.शासन, प्रशासन एवं पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर भ्रष्टाचार एवं अपराधों को रोकने में उनका सहयोग करना एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना।

6.समस्त जनसाधारण का सामाजिक नैतिक, चारित्रिक व बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में द्वेष प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।

7.भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना।

8.भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महिला हिंसा, बालश्रम, शोषण, अव्यवस्था आदि वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी-अर्द्धसरकारी संस्थाओं के सहयोग से उन्हें दूर करने का प्रयास करना।

9.मानवाधिकारों की जानकारी के लिए आम जनता को जागरूक करने एवं मानवाधिकार संरक्षण के प्रचार-प्रसार हेतु पत्र-पत्रिका का प्रकाशन करना एवं समय-समय पर सेमिनार एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना।

विश्व मानवाधिकार परिषद

10.शासन-प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित कर अपराध व शोषण रोकने का प्रयास करना।

11.भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 का जन-जन में प्रचार-प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सके।

12. विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा युवाओं के विकास एवं उनके उत्थान के लिए ऑनलाईन इंस्टियूट चलाना, जिसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा सर्टिफिकेट का संचालन करना एवं मानवाधिकार संरक्षण के लिए सम्पूर्ण भारतवर्ष में फुल टाइम/पार्ट टाइम डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना और संगठन के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार अधिकृत सेंटर खोलना एवं देश में चल रहे कोचिंग सेंटरों को भी सम्बद्धता देना। जिससे आम जनता को मानवाधिकार संरक्षण की जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे समाज के लोग जागरूक हो सके।

13. विश्व मानवाधिकार परिषद् की राष्ट्रीय, ज़ोनल (नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ) प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टीम गठित करके संचालन करना एवं इसी प्रकार समस्त प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी भी होगी।
(अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, लीगल प्रकोष्ठ, यूथ प्रकोष्ठ, आर.टी.आई प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, एससी / एसटी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, मीडिया प्रकोष्ठ, स्टूडेंट्स प्रकोष्ठ, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, एक्स आर्मी प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ, संस्कृति प्रकोष्ठ, एन्टी करप्श्न प्रकोष्ठ, एल.जी.बी.टी. प्रकोष्ठ, पुलिस परिवार सुरक्षा प्रकोष्ठ, मजदूर सुरक्षा प्रकोष्ठ चाइल्ड सुरक्षा प्रकोष्ठ

कोओर्डिनेटर

ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, मुस्लिम समाज, वाल्मीकि समाज, सिधी समाज, वर्मा समाज, सिक्ख समाज, बुद्धि समाज, कुशवाहा समाज, भूमिहार समाज, जाट समाज, कायस्थ समाज, जैन समाज, वैश्य समाज, यादव समाज, बंगाली समाज, मुस्हर समाज, खत्री समाज, क्रिस्चियन समाज साहू समाज, मौर्य समाज, राजपूत समाज, राठौर समाज आदि का गठन करना।

क्या कहता है मानवाधिकार:

विश्व मानवाधिकार परिषद का मुख्य उददेश्य/हमारा लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा करना साथ ही साथ हमारा परम् कर्तव्य है। कि दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करें जो आपको स्वयं के साथ किया जाना पसन्द न हो।अपने अधिकारों को जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभायें। विश्व मानवाधिकार परिषद से जुड़कर मानव अधिकार एवं विधिक सहायता केन्द्र प्रारम्भ करें, और शोषण, असमानता तथा उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त आवाज़ बनें।याद रखें मानव अधिकार का उल्लंघन न केवल किसी व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण

की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इस सम्बन्ध में घोषित चार्टर को विश्व के लगभग सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आम लोगों की जागरुकता के अभाव में मानवाधिकारों की रक्षा का कोई भी प्रयास बेईमानी है। विश्व मानवाधिकार परिषद विविध सरकारी विभागों, निकायों, विधिव्यक्ताओं, शिक्षाविदों, जागरुक नागरिकों तथा आम लोगों से सामान्जस्य स्थापित कर और उनका सहयोग लेकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मानवाधिकारों के प्रति यदि आप जागरुक हैं साथ ही उत्साही भी तो हमें बस आपकी प्रतिक्षा है।

मानवाधिकार हनन के प्रमुख मामलेः-

महिला उत्पीड़न, दहेज, दहेज हत्या, दूसरी शादी, श्रमिक शोषण, बाल श्रम, सम्प्रदायिक हिंसा, कैदियों का उत्पीड़न, झूठे मामले, गैर कानूनी कार्य, पुलिस कार्य में विफलता, भुखमरी, एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करना, ठेकेदारी में बेइमानी, बलात्कार, बिना सूचना नौकरी से निकाल देना, फर्ज़ी मुठभेड़, मजदूरी कराकर पैसे न देना।

ऐसे या इस प्रकार के किसी भी मामले की सूचना प्राप्ति पर विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा आगे बढ़कर कदम उठाये जाते हैं। सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों, विभागों व निकायों के संज्ञान में मामले को लाने के साथ ही पीड़ित अथवा पीड़िता को न्यायिक उपचार व क्षतिपूर्ति दिलाना भी हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च है।

सरकार या सरकारी विभागों/अधिकारियों के विरुद्ध जनहित याचिका।

आम जनता को यह अधिकार प्राप्त है, कि सुविधाओं के अभाव जैसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, परिवहन व्यवस्था, रेलवे, खराब सड़क, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, सरकारी अधिकारियों-विभागों द्वारा लापरवाही, पुलिस हिरासत में मृत्यु, कैदियों की सुरक्षा, जेल सुधार, पुलिस उत्पीड़न, अनुसूचित जाति-जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन, सूचना अधिकार, कानून, मनरेगा, प्रदूषण, कल्याण योजनाओं के क्रियान्वन में लापरवाही, मौलिक अधिकारों का हनन, रैगिंग आदि के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक न्यायिक उपचार पाने का अधिकारी है। यह उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में जनहित याचिका (निःशुल्क एवं सशुल्क) के रूप में भी सम्भव है।

करो स्वीकार : यह है हमारा अधिकार ।

आगे बढ़े। अपने अधिकारों को जानें और आम जनता को जागरुक करे।

केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की अवहेलना।

विश्व मानवाधिकार परिषद

हमारे आस-पास प्रतिदिन ऐसी घटनायें घटती हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है, लेकिन जागरुकता एवं जानकारी के अभाव के कारण लोग मूकदर्शक बने रहते हैं। सरकार की अनेक लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो आम लोगों को है भी नहीं जबकि इसमें से अनेक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पीड़ितो, वंचितों, हरिजनों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष रूप से तैयार तथा क्रियान्वित की गयी हैं।

उदाहरण :-

1.गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के पालन के लिए ग्रामीण बैंक से 33 प्रतिशत अनुदान पर ऋण लें।

2.खेतों में फूल-फल औषधि की खेती व बागबानी के लिए 50 से 80 प्रतिशत अनुदान के साथ किसान ऋण प्राप्त करें।

3.मधुमक्खी पालन, मछली पालन सब्जी की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान।

4.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5000 रुपये की सहायता राशि।

5.अर्न्तजातीय विवाह करने पर 25000 हजार रुपये की प्रोत्साहन सह सहायता राशि।

6.M.V.ACT की RUN AND GO योजना में धारा 161 के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 25000 रूपये का मुआवजा।

7.सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, हिमपात, बादल फटने, कीट आक्रमण, वज्रपात, निर्दोष हत्या, पानी में डूबकर मृत्यु,इसके अतिरिक्त, विघुत दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, भवन दुर्घटना, साम्प्रदायिक हिंसा, चिकित्सा में लापरवाही, रेल दुर्घटना, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना, जैसी स्थितियों में पीड़ित/पीड़िता व्यक्ति एवं पक्ष, न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति/मुआवजा हिंसा, चुनावी हिंसा, जीव जन्तु तथा कीड़े-मकोड़े के काटने से मृत्यु, गलत प्रश्नपत्र तथा देर से परीक्षा होने की स्थिति में भी बात लागू होती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न एवं उपचार।

अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ खिलाना/पिलाना क्षति पहुँचाना, अपमानित करना, क्षुब्ध करना अनादरसूचक कार्य, अवैध कब्ज़ा बेगार, बलात्कार बन्धुवा मजदूरी, मतदान के अधिकार से वंचित करना, झूठा द्वेषपूर्ण तथा तंग करने वाले मामले में झूठी गवाही, सरकारी तंत्र के हाथों उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता, हत्या, मृत्यु, नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, घर जला देना, जैसे मामलों पर सरकार, जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से 25000 रुपये से 2 लाख रुपये तक पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति का मकान जलने पर इंदिरा आवास मिलता है। विश्व मानवाधिकार परिषद ने अब तक पूरे देश में अनेक मामलों को संज्ञान में लेकर प्रभावी कदम उठाये हैं, जिसका

विश्व मानवाधिकार परिषद

सीधा लाभ पीड़ित पक्ष को मिला है। यदि आपको न्यायिक सहायता अथवा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो आपका स्वागत है। इसके साथ ही विधिक सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर बनें। सम्भव है कि उनमें से कोई, आपके संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो।इसके साथ ही, यदि मानवाधिकारों के प्रति आपमें श्रद्धा है और आप जागरुक बनकर न केवल समाज को दिशा देना चाहते हैं, बल्कि अपने कैरियर को भी एक नयी ऊँचाई देना चाहते हैं, तो साथ आयें। शिक्षाविद्, पत्रकारगण, बुद्धिजीवी और अधिवक्तागण भी इस सन्दर्भ में सम्पर्क करें।

विश्व मानवाधिकार परिषद जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी ।

अपना अधिकार जानें और आम जनता को जागरुक करे।

एक का अधिकार, दूसरे का कर्तव्य है।

भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य ।

भारत के मूल अधिकार, एवं मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 14

भारत के संविधान की प्रस्तावना - भारत के मौलिक और सर्वोच्च कानून

मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य[1] भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।[note 1] इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।

मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशानिर्देश हैं। संविधान के भाग IV में वर्णित ये प्रावधान अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं, वे शासन के लिए मौलिक दिशानिर्देश हैं जिनको राज्य द्वारा कानून तैयार करने और पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है।

मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए

विश्व मानवाधिकार परिषद

भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

इतिहास

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय संविधान सभा।

मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का मूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था, जिसने स्वतंत्र भारत के लक्ष्य के रूप में समाज कल्याण और स्वतंत्रता के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया।[2] भारत में संवैधानिक अधिकारों का विकास इंग्लैंड के अधिकार विधेयक, अमेरिका के अधिकार विधेयक तथा फ्रांस द्वारा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से प्रेरित हुआ।[3] ब्रिटिश शासकों और उनकी भारतीय प्रजा के बीच भेदभाव का अंत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी (INC)) के एक उद्देश्य के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आईएनसी (INC) द्वारा 1917 से 1919 के बीच अपनाए गए संकल्पों में इस मांग का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।[4] इन संकल्पों में व्यक्त की गई मांगों में भारतीयों को कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार, बोलने का अधिकार, मुकदमों की सुनवाई करने वाली जूरी में कम से कम आधे भारतीय रखने, राजनैतिक शक्ति तथा ब्रिटिश नागरिकों के समान हथियार रखने का अधिकार देना शामिल था।[5]

प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों, 1919 के असंतोषजनक मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एम.के.गांधी उभरते प्रभाव के कारण नागरिक अधिकारों के लिए मांगे तय करने के संबंध में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका ध्यान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता का अधिकार मांगने से हट कर सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया।[6] 1925 में एनी बीसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में सात मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी - व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता।[7] 1927 में, कांग्रेस ने उत्पीड़न के खिलाफ निगरानी प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा के आधार पर, भारत के लिए स्वराज संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का संकल्प लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी भारतीयों केलिए मूल अधिकारों की गारंटी सहित अनेक सिफारिशें की थीं। ये अधिकार अमेरिकी संविधान और युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनाए गए अधिकारों से मिलते थे तथा उनमें से कई 1925 के विधेयक से अपनाए गए थे। इन प्रावधानों को बाद में मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों सहित भारत के संविधान के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया था।[8]

1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में शोषण का अंत करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भूमि सुधार लागू करने के घोषित उद्देश्यों के साथ स्वयं को नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रति समर्पित करने का एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में प्रस्तावित अन्य नए अधिकारों में राज्य के स्वामित्व का निषेध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मृत्युदंड का उन्मूलन तथा आवागमन की स्वतंत्रता शामिल थे। [9] जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए संकल्प के मसौदे, जो बाद में कई निदेशक सिद्धांतों का आधार बना, में सामाजिक सुधार लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पर समाजवाद तथा गांधी दर्शन के बढ़ते प्रभाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे।[10] स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 1930 के दशक के समाजवादी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति दिखाई देने के साथ ही मुख्य ध्यान का केंद्र अल्पसंख्यक अधिकार - जो उस समय तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था - बन गए जिन्हें 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर देने के अलावा "विधायिकाओं, सरकार और अदालतों के लिए ऐचरण के मानक" निर्धारित करने की भी मांग की गई थी।[11]

ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा(प्रारूप) तैयार किया।[12] ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया।[13] कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया।[14] उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया।[15]मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों [16] के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था।[17] निदेशक सिद्धांतों का मसौदे, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था।[18] मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।[19]

मूल अधिकार

मुख्य लेख: भारत के नागरिकों का मूल अधिकार

संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।[20] संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।[21] हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।[22][note 2]

मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है।[23] वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं[note 3] और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें।[24] ये अधिकार राज्य, जिसमें अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्कंधों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसियों व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय हैं।[25] हालांकि, कुछ अधिकार - जैसे कि अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में - निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।[26] इसके अलावा, कुछ मूल अधिकार - जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित - भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य - जैसे जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध है - केवल भारतीय नीगरिकों पर लागू होते हैं।[27][28]

मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।[25] 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में[note 4] सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन।[29] मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है।[30] आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है।[31]आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है।[32] संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग

को प्रतिबंधित कर सकती है।[33]

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं,[34] तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं।[35] अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है।[note 5] इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार।[36] उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।[37]

अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है।[38] हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है।[39] अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।[40]

अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[35] अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भारत रत्न पुरस्कारों जैसे, भारतरत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्राप्तकर्ता द्वारा पदवी

के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।[41][42]

स्वतंत्रता का अधिकार:-

संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगं स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।[43] इनमें शामिल हैं(19 अ) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (19 ब) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता , भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रतता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, दिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है।[44]

अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है।[45] इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए।[46] संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को शामिल कर लिया।[47] परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21,यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है,[note 6] के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए,[48] और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा।[49]इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं।[50] इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण,

अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार।[51] प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए में मूल अधिकार बनाया गया है।[52]

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है।[53] अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार।[54] संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।[55] निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था।[56]अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी।[57]

शोषण के खिलाफ अधिकार:-

राइट्स के अंतर्गत शोषण के खिलाफ बाल श्रम और भिक्षुक निषिद्ध हो गए।

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित हैं, इनमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।[58]अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना जहां कानूनन काम न करने के लिए या पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार है, भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है।[59][60] बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, को इस अनुच्छेद में प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[61] अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उन्मूलन के लिए नियम प्रदान करने और बाल श्रमिक को रोजगार देने पर दंड के तथा पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं।[62]

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए।[63] अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते हैं।[64] हालांकि, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है।[65] अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते।[66] राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है।[63] अनुच्छेद 27 की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।[67]अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वाकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।[63]

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, उन्हें अपनी विरासत का संरक्षण करने और उसे भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हुए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उपाय हैं।[68] अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है, इस प्रकार राज्य को उन पर किसी बाह्य संस्कृति को थोपने से रोकता है।[68][69] यह राज्य द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है। हालांकि, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा उचित संख्या में सीटों के आरक्षण तथा साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था में उस समुदाय से

संबंधिक नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत तक सीटों के आरक्षण के अधीन है।[70]

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य को, वित्तीय सहायता देते समय किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर कि उसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है, भेदभाव करने से रोकता है।[69]हालांकि शब्द "अल्पसंख्यक" को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कोई भी समुदाय जिसके सदस्यों की संख्या, जिस राज्य में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार चाहिए, उस राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम हो। इस अधिकार का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही स्थापित की गई शैक्षिक संस्था स्वयं को केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म या भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं रखती, या उस संस्था के अधिसंख्य छात्र संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखते हों।[71]यह अधिकार शैक्षिक मानकों, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, शुल्क संरचना और दी गई सहायता के उपयोग के संबंध में उचित विनियमन लागू करने की राज्य की शक्ति के अधीन है।[72]

संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है।[73]अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है।[74] सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 - जो एक मैलिक अधिकार नहीं है - मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रादेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है।[75] निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।[73] अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।[74]

भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य ।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कोई भी अनादर कार्य गैर कानूनी है।

नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे।[19][99] मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है।[52] अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं।[100] नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।[99][101] ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।[99]

हमारी माँगें:-

1.माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही मानवाधिकार को एक पृथक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।

2.सभी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाये।

3.राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की तरह विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं को पेंशन देने के लिए न केवल प्रभावी योजना बनायी जाये बल्कि, उसे सही तरीके से कार्यान्वित भी किया जाये।

4.प्रतिष्ठित एवं निजी अस्पतालों में गरीबों को स्थान देते हुए उनकी चिकित्सा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाये।

5.प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें स्थान दिया जाये।

6.महिला उत्पीड़न, दहेज आदि मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो।

बेरोजगारी तथा गरीबी,

अनेकानेक अपराधों की जड़ में कहीं-न-कहीं मौजूद है।

आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, लोगों की गरीबी दूर करें।

अपनी गरीबी दूर करें।

स्वयं को रोजगार दें.... लोगों को रोजगार दें।

यही समयानुकूल तथा सही कदम है।

करो स्वीकार : यह है हमारा अधिकार।

विश्व मानवाधिकार परिषद में आपका स्वागत है:-

आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व मानवाधिकार परिषद की टीम लगातार समाज से जुडे महत्वपूर्ण कार्य करेगी जिसमें प्रमुख है

1.सामाजिक बुराईयों के .खिलाफ़ पहल करना और उनके .खिलाफ़ आवाज़ उठाना तथा पीड़ितों को बुराइयों से निज़ात दिलाना।

2.बाल व बन्धुआ मज़दूरी के अत्याचार से मुक्ति दिलाना।

3.बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों की रक्षा के लिये काम करना।

4.समाज के लिए योगदान करने वाली हस्तियों को समय-समय पर सम्मानित करके उनका सम्मान करना।

5.समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यकर्मों का आयोजन करना।

6.जनता तथा पुलिस के बीच में सहयोग का पुल बनाना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना।

7.भ्रूण हत्या पर हर सम्भव रोक लगाना व उनके .खिलाफ़ आवाज़ उठाना।

8.हर वर्ग के कमज़ोर व्यक्तियों को समाज में न्याय दिलाना।

9.समाज के सभी गरीब बच्चों महिलाओं बुजुर्गो व विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ जाँच कैम्प लगाना और दवाइयां उपलब्ध कराना।

10.विश्व मानवाधिकार परिषद की समाज के हर व्यक्ति से अपील है कि आईये हम सब मिलकर समाज सेवा का हिस्सा बनें और समाज को अपराधमुक्त बनाने में सहयोग करें।

11.विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन की टीम आम जनता की हर समय निःस्वार्थ भाव से सेवा में तत्पर है और आम जनता के सहयोग के साथ काम करेंगे।

विश्व मानवाधिकार परिषद

12. विश्व मानवाधिकार परिषद का हर सम्भव प्रयास रहेगा कि हर वर्ग समाज में व्याप्त भय एवं भूख से मुक्त होकर सुख शान्ति और सम्मान के साथ जीवन बिता सके यही मानवाधिकार है।

विश्व मानवाधिकार परिषद एक परिचय :-

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना औऱ आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन औऱ समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागार करते हुए शासन-प्रशासन को अवगत करना परम उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाऐं प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद जैसी समस्याऐं दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आज़ादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज भी अधिकांश भारतवासी बेहतर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ, आवास, शुद्ध पेयजल, न्याय, समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश मूल, लिंग, अमीरी, गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं प्रकृतिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप से लाने के लिए संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। परन्तु विडम्बना यह है, कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कि क्या भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है? गाँव मोहल्लों में सफाई नहीं होती, राशन की दुकान में सामान सही से नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता, अस्पतालों में दवाईयां नहीं मिलतीं, डाक्टर नर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते, सड़कें टूटी फूटी हैं, ग्राम-स्तर के अधिकारी से लेकर राजनेता सांसद,विधायक, मंत्री तक ध्यान नहीं देते, गाँवों एवं पिछड़े इलाकों में बिजली ठीक से नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है, तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया। हमारा कार्य लोगों को जागरूक करना है। हम किसी भी सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं करते हैं। संगठन अपने सदस्यों एवं आप सभी के सहयोग से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। अगर आप अपना कार्य किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कार्यालय भेज रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति आपका विश्वस्त हो। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें जो आपकी निःस्वार्थ भाव से आपकी पूरी मदद करेंगे। जिससे आपकी आवाज को हम अपने संगठन के माध्यम से शासन- प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुचा सके मानव सेवा ही संगठन का परम उद्देश्य है :-

मानव अधिकार एवं ग़ैर-सरकारी संगठन:-

ग़ैर-सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को यह कहा जाता है कि जो बिना लाभ के धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोक कल्याणकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में न तो कोई अन्तर-सरकारी करार होता है और न ही ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव 288 x फ़रवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था जिसने परिभाषित किया कि ग़ैर-सरकारी संगठन का अर्थ है कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अन्तर-सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है । विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो कि सरकार से स्वतंत्र हो। ऐसे संगठनों के उदाहरण हैं अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ़ कामर्स , अन्तर-संसदीय संघ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और महिला अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिसंघ । ग़ैर-सरकारी संगठन या तो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित व्यक्तिगत संगठनों की सदस्यता राष्ट्रीय स्तर पर होती है तथा वे अपने उद्देश्यों को अपने संविधान में परिभाषित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठनों की सदस्यता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है एवं उनकी गतिविधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संपादित होती हैं। उन्हें लोक अभिरुचि समूह के सदृश्य समझा जाता है जिसका तात्पर्य है कि उनकी कार्यप्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने सदस्यों के हित के लिये कार्य करेंगे वरन् वे लोकहित के कार्य करेंगे।

मानव अधिकार एवं ग़ैर-सरकारी संगठन:-

ग़ैर-सरकारी संगठन लगभग सभी राज्यों में स्थापित हैं। 1994 में यह आँकलित किया गया कि यूनाइटेड किंगडम में गैर-सरकारी संगठनों संख्या 275000 थी एवं ग़रीब देशों में इनकी अनुमानित संख्या 20000 है। तब से इनकी संख्या त्वरित गति से बढ़ रही है। यह अनुमानित किया गया कि 1999 में इनकी संख्या विश्व में 20 लाख थी। केवल भारत में यह अनुमानित किया गया कि उनकी संख्या 10 लाख है जो लगभग सम्पूर्ण विश्व के ग़ैर-सरकारी संगठनों की संख्या से आधी है।बहुत से ग़ैर-सरकारी संगठन मानव अधिकारों के अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए स्थापित किये गये हैं। उनकी गतिविधियाँ एवं सदस्यता मुख्यतः एक ही राज्य के दायरे में होती है किन्तु कुछ मानव अधिकार से सम्बन्धित संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किये गये हैं और उनकी सदस्यता भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ऐसा समूहों के उदाहरण हैं । एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन एण्टी स्लेवरी सोसाइटी लंदन इण्टरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स जेनेवा , इण्टरनेशनल लीग फ़ॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिका, इण्टरनेशनल पेन और फ्रेंच लीग फॉर द डिफेन्स ऑफ द राइट ऑफ़ मैन एण्ड ऑफ द सिटिज़न पेरिस, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विशेष सलाहकारी स्तर का सम्बन्ध होता है बल्कि उनकी सीधी पहुँच संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग, इसके अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं भेदभाव निरोधक उप-आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को तक होती है।

भारतवर्ष में मानवाधिकार:-

भारत एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा से ही अमन पसंद और शांति का पुजारी रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य रहा है। इसी आधार पर भारत के संविधान में उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों एवं शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है जिनका संगठन मानवाधिकारों यू.एन. चार्टर में है। हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार की घोषणा करता है और भाग 4 अनु. 36-51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों बाद तक जन प्रतिनिधियों एवं इनके सलाहकार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मानव संरक्षण कानून बनाने जैसे आम मुद्दों की तरफ नहीं गया। वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारी गणतन्त्र सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा 1993 में किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही वर्ष 1994 में एक अधिनियम पारित कर राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन् और उल्लंघन के मामलों की जांच स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किये जाने पर करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। देश के कुछ राज्यों में इनका गठन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है तथा अन्य सदस्य होते हैं।मानवाधिकार का हनन् मानव द्वारा ही किया जाता है चाहे वह व्यक्ति दबंग हो या सरकारी लोकसेवक। इसमें विभाग या कुर्सी से कोई मतलब नहीं होता। उत्पीड़नकर्ता चाहे कितनी ही उच्च या सशक्त पद पर हो परिवार में उसकी हैसियत पर साधारण अभियुक्त जैसी ही होती है तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस समय उसे मानव उत्पीड़न का एहसास हो जाता है।

सदस्यों के लिए नियम एवं उपनियम:-

1.विश्व मानवाधिकार परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी संगठन में स्वयंसेवी के रूप में कार्य करेंगे इसके लिये किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं है।

2.सदस्यता अहस्तानांतरणीय है। सदस्यता शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।

3.पहचान पत्र की वैधता समाप्त होने पर उसे मुख्य कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वैधता समाप्त होने पर पहचान पत्र का नवीनीकरण सदस्यता जारी रखने कि लिए अनिवार्य है।

4.सभी सदस्यों को अपने सम्बन्धित मुख्यालय में अपने सम्बन्धित पदाधिकारियों से माह में एक बार मिलना अनिवार्य है।

5.संगठन की नीति के विरुद्ध कार्य करने पर सम्बन्धित कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठन ही सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है।

6.किसी भी प्रकार की शंका सवाल या जानकारी के लिए विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

7.विश्व मानवाधिकार परिषद के घोषित उद्देश्यों को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित करने कि लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय के साथ -साथ राज्य ,मंडल , ज़िला स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाये जिससे समाज का कोई भी इंसान अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने से वंचित न रहे।

सदस्यता के लिये नियम:-

1.मैं स्वेच्छापूर्वक विश्व मानवाधिकार परिषद के उन सभी नियमें को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ जो व्यक्तियों के नागरिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकरों की रक्षा करते हैं।

2.मैं उन सभी शक्तियों का विरोध करूंगा/करूंगी जो किसी भी व्यक्ति का ग़ैरकानूनी प्रकार से उत्पीड़न करते हैं।

3.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति एवं मानव अधिकार के संरक्षण हेतु निःस्वार्थ कार्य करूंगा/करूंगी।

4.मैं अपने कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्व मानवाधिकार परिषद के लिए उत्तरदायी होने का पूर्ण निर्वाह करूंगा/करूंगी।

5.मैं समाज के अवांछनीय, असामाजिक तथा अपराधिक मामलों पर ध्यान दिया करूंगा/करूंगी।

6.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यों और बैठकों में हिस्सा लूंगा/लूंगी तथा दिये गये कार्यभार एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान-सम्मत रूप से दिये गये कार्यो को स्वीकार करूंगा/करूंगी।

7.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के उद्देश्यों के विपरीत कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मैं उद्देश्यों की अवहेलना करता पाया जाऊँ तो मेरी सदस्यता बिना कोई सूचना दिये तुरन्त समाप्त कर दी जाए।

8.विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता प्राप्त कर मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहता हूँ/चाहती हूँ जिन्हें आपके सम्मानीय विश्व मानवाधिकार परिषद के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

9. विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक संगठन है, जिसमें सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की नियुक्ति एक सम्मान के रूप में की जाएगी। इसलिए संगठन की तरफ से कोई भी वेतन भत्ता देय नही होगा। आपके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निः स्वार्थ भाव से कार्य किये जायेंगे।

विश्व मानवाधिकार परिषद

WORLD HUMAN RIGHTS COUNCIL

VMP

VISHWA MANAVADHIKAR PARISHAD

Reg. Office : Moh. Joshi Tola, Kheri Town, Lakhimpur-Kheri
(U.P.) India - 262702

Phone : 7800000910, 9794100006, 9454110126

Toll Free Help Line No. : 18005725786

E-mail : vmpgov.np@gmail.com

Website : www.vmpgov.com